उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या–क0नि0–2-1270/ग्यारह–9(1)/08–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(118)–2014

लखनऊः दिनांकः 26 सितम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची–एक एवं अनुसूची–दो में दिनांक़ 27 सितम्बर, 2014 से निम्नलिखित संशोधन करते हैंः–

संशोधन

(क) उक्त अनुसूची–एक में, कम संख्या 30 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात्:–

कम संख्या	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
30	कच्चा ऊन जिसमें जानवरों के बाल भी सम्मिलित हैं; **बाइसिकिल, ट्राइसाइकिल, साइकिल रिक्शा तथा इनके पार्ट्स, कम्पोनेन्ट्स, एक्सेसरीज, टायर एवं ट्यूब**

(ख) उक्त अनुसूची–दो में, भाग–क में, कम संख्या 19 की प्रविष्टि निकाल दी जायेगी।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।